

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)

सीबीएसई/समन्वय/आईपीएस/2022

09.03.2023

Alter

सेवा में, प्रधानाचार्य/स्कूलों के प्रमुख, सीबीएसई से संबद्ध सभी विद्यालय (सीबीएसई वेबसाइट के माध्यम से)

विषय : आईपीएस परीक्षा - 2022 के समापन संबंधी सूचना महोदय/महोदया,

2022 में, बोर्ड ने एकीकृत भुगतान प्रणाली (IPS) का उपयोग करके निम्नलिखित गतिविधियों संबंधी भुगतान निर्गत कर दिया है

- 1. विद्यालय परिणाम समिति के सदस्यों का भुगतान (2021),
- 2. टर्म-। परीक्षाओं का भुगतान (2022),
- 3. टर्म-॥ परीक्षाओं का भुगतान (2022),
- 4. प्रैक्टिकल/परियोजना आकलन का भुगतान (2022),
- 5. मुख्य नोडल पर्यवेक्षकों का भुगतान (2022)

बोर्ड ने भुगतान जारी करने के लिए पोर्टल पर डेटा भरने की तारीखों को कई बार बढ़ाया है। यह भी देखा गया है कि उपर्युक्त क्रमांक संख्या 1 से 4 से आईपीएस के संबंध में अब बहुत कम स्कूल / पदाधिकारी शेष हैं। ये स्कूल कई अनुस्मारक और तारीखों के बढ़ाए जाने के बावजूद आईपीएस पोर्टल पर अपना दावा पूरा नहीं कर रहे हैं।

तदनुसार, इन 04 एकीकृत भुगतान प्रणालियों (क्रम संख्या 1 से 4) को बंद करने का निर्णय लिया गया है। किसी भी लंबित दावे/ भुगतान के मामले में, स्कूल निम्नलिखित पर ध्यान दें :

- क यदि किसी स्कूल ने अभी भी अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया है या जमा किए गए डेटा को फ्रीज नहीं किया है, तो स्कूल 08/05/2023 से पहले दावे के पूरे विवरण के साथ संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करेगा और संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय स्कूल के दावे को नियमानुसार ऑफ़लाइन रूप में संसाधित करेगा। भुगतान संसाधित करने से पहले, क्षेत्रीय कार्यालय आईपीएस पोर्टल/डेटा से स्कूल को भुगतान की स्थिति की पृष्टि करेंगे।
- ख यदि किसी स्कूल ने केंद्र/किसी पदाधिकारी के भुगतान की विफलता/अस्वीकृति के बाद भी बैंक विवरण अपडेट नहीं किया है, तो स्कूल सही बैंक खाता विवरण के साथ 08/05/2023 से पहले संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करेगा और संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय तदनुसार दावे पर कार्रवाई करेगा। भुगतान अंतरित करने से पहले क्षेत्रीय कार्यालय आईपीएस पोर्टल/डेटा से राशि की पृष्टि करेंगे। आईपीएस प्रणाली द्वारा गणना की गई राशि का भुगतान केवल उन स्कूल किमीयों को किया जाएगा जिनका भुगतान गलत बैंक विवरण के कारण विफल हो गया था।
- इस तरह के सभी अनुरोध इस परिपत्र के जारी होने की तारीख से दो महीने के भीतर अर्थात 08.05.2023 तक संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में जमा होंगे। यदि 08.05.2023 तक भुगतान का दावा नहीं किया जाता है, तो उसे जब्त कर लिया जाएगा और बोर्ड द्वारा 2022 के भुगतान को निर्गत करने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

जारी है.....2



"शिक्षा केन्द्र", २, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092 "SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092





Phone (off.): 011-22509256-59, 22041807-08, Website: www.cbse.gov.in, www.cbse.nic.in

स्पॉट मूल्यांकन के भुगतान के लिए आईपीएस जारी रहेगा क्योंकि डेटा अभी भी भरा जा रहा है और भुगतान नियमित रूप से जारी किया जा रहा है सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां कुछ प्रशासनिक मुद्दे/समस्याएं हैं, जिन्हें बोर्ड द्वारा हल किया जा रहा है। ये भुगतान भी मार्च 2023 के अंत तक पूरे हो जाएंगे।

यह अनुरोध किया जाता है कि कृपया यह जानकारी सभी संबंधितों को अपने स्तर पर आवश्यक कार्रवाई के लिए ध्यान में लाई जाए।

प्रति :

- बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार भुगतान के लिए 08/05/2023 तक प्राप्त अनुरोधों को संसाधित करने और निपटाने के निदेश सहित। वेब एडमिन को इस अनुरोध के साथ कि इसे सीबीएसई की वेबसाइट पर अपलोड करें।